एस. एल.	तिथि	कार्यालय टिप्पणी, संख्या रिपोर्ट, आदेश या कार्यवाही या दिशाएँ और निबंधक के साथ आदेश हस्ताक्षर के साथ	न्यायालय या न्यायाधीश के आदेश
			<u>बीए1 सं. 1830 सन 2023</u> <u>माननीय राकेश थपलियाल, जे.</u> 1. सुश्री मंजू बहुगुणा, आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता । 2. श्री वी एस पाल, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. । 3. आवेदक पुलिस स्टेशन रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर में दर्ज एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एफआईआर संख्या 277/2023 के संबंध में जमानत की मांग कर रहा है। 4. आवेदक के विद्वान वकील का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि वर्तमान आवेदक के कब्जे से 600 ग्राम प्रतिबंधित पदार्थ (चरस) बरामद किया गया, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है। आवेदक के वकील ने आगे कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और सह-अभियुक्त, शेखर गुप्ता उर्फ राहुल को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2023 के आदेश के तहत पहले ही जमानत दे दी गई है। आगे कहा गया है कि जांच पूरी हो चुकी है और मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

			6. इसके विपरीत, विद्वान राज्य वकील का मानना है कि यह कहना गलत है कि एनडीपीएस अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। हालाँकि, इस तथ्य पर विवाद नहीं किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और आरोप पत्र दायर किया गया है और वर्तमान आवेदक के कब्जे से जो कथित प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था वह वाणिज्यिक मात्रा से कम है। 7. मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का मानना है कि यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला है। 8. जमानत अर्जी मंजूर की जाती है। 9. आवेदक राजीव गुप्ता को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड निष्पादित करने और समान राशि की दो विश्वसनीय ज़मानत प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए: ***i)*** *आवेदक नियमित रूप से ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होगा और वह किसी भी अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेगा।* ***(ii)*** *आवेदक इस मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।* ***iii)*** *आवेदक ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।* ***(iv)*** *यदि आवेदक भविष्य में इसी तरह के किसी अन्य मामले में शामिल पाया जाता है, या जमानत देते समय उस पर लगाई गई किसी भी शर्त का दुरुपयोग या उल्लंघन करता है, तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने के लिए*

			आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है। **(राकेश थपलियाल, जे.)** 09.11.2023 पारुल